न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र संख्या 04 सन् 2021 | निर्णय दिनांक 14.02.2022

प्रभुराम पुत्र कृष्णराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू थाना भालेरी तहसील चूरू

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन महोदय, चूरू

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

श्री सलीम खान व अन्य, वकील – प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2021 को श्रीमान जिला कलक्टर, चूरू के आदेशानुसार जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी व पुलिस थाना भोलरी जिला चूरू द्वारा अवैध डीजल बिक्री की जांच हेतु रणवा फिलिंग स्टेशन भालेरी जिला चूरू के यहां पहुंचे। मौके पर वाहन टैंकर संख्या आर. जे. 10 जी. ए. 9261 तथा वाहन टैंकर चालक श्री सन्दीप कुमार पुत्र मोहनलाल स्वामी निवासी खण्डवा पट्टा जिला चूरू उपस्थित आया। दौराने पूछताछ संदीप ने उक्त टैंकर को सूरत (गुजरात) से सिरसा (हरियाणा) जाना बताया तथा टैंकर में भरे द्रव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। टैंकर में द्रव के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने के कारण टैंकर में भरे पदार्थ को डीजल से मिलता जुलता मिलवाटी डीजल होना वजह सबूत पाया गया तथा मौके पर वाहन टैंकर संख्या आर. जे. 10 जी. ए. 9261 मय 8800 लीटर मिलवाटी डीजल को जब्त किया गया। प्रकरण में प्रभूराम पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा व संदीप कुमार पुत्र मोहनलाल स्वामी निवासी खण्डवा पट्टा को जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर पुलिस थाना भालेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट 02/2021 दर्ज की गई।

उक्त जब्तशुदा एक गाड़ी वाहन टैंकर संख्या आर. जे. 10 जी. ए. 9261 को सुपुर्दगी पर दिये जाने के बाबत् प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना भालेरी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई व विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कहा, कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टैंकर संख्या आर. जे. 10 जी. ए. 9261 का प्रार्थी मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वाहन से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उक्त वाहन प्रार्थी की आय का एकमात्र जरिया है, पिकअप जब्त किये जाने के कारण प्रार्थी बेरोजगार हो गया है व परिवार के पालन पोषण का भी संकट पैदा हो गया है। पुलिस थाना परिसर में वाहन के खुले में खड़े रहने पर रंग–रोगन व

जिला कलेक्टर

टायर–ट्यूब आदि खराब हो जायेगें। प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। अंत में जब्तशुदा वाहन को साधारण जमानत पर सुपुर्द किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। थाने में खड़ा रहने पर वाहन को नुकसान होने की सम्भावना है। पुलिस थानाधिकारी भालेरी की रिपोर्ट दिनांक 14.02.2022 के अनुसार वाहन टैंकर संख्या आर. जे. 10 जी. ए. 9261 के मालिक से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। ऐसे में वाहन को थाना पर खड़ा रखे जाने का कोई औचित्य नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। निम्न शर्तों के तहत 50/– रूपये के स्टाम्प पर दस लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा व दस लाख रूपये का जमानतनामा पेश किये जाने पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा तस्दीक किया जाये।

शर्ते–

1. प्रार्थी उक्त वाहन का न्यायालय से निर्णय होने तक किसी व्यक्ति को बेचान व स्थानान्तरण नहीं करेगा।
2. प्रार्थी वाहन के रंग–रोगन का न्यायालय की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करेगा।
3. न्यायालय द्वारा जब भी वाहन को तलब किया जावे तो प्रार्थी स्वंय के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में हाजिर रखेगा।

इसी प्रकार के अपराध में वाहन का प्रयोग लिया गया तो सुपुर्दगी व जमानतनामा निरस्त समझे जायेंगे और वाहन को पुनः कब्जे में लिया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन प्रार्थी प्रभुराम पुत्र कृष्णराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू थाना भालेरी तहसील चूरू को वाहन वाहन टैंकर संख्या आर. जे. 10 जी. ए. 9261 के सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना, भालेरी को तदनुसार पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरू